"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जून 2010—ज्येष्ठ 25, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2010

क्र. 5891/132/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-06-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 14 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 होगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 4 के खण्ड (सत्रह) के उप-खण्ड (क) में शब्द एवं अंक "भाग-एक" के स्थान पर शब्द एवं अंक "भाग-एक (पुनरीक्षित)" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 13 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, शब्द एवं अंक "भाग-दो" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "भाग-दो (पुनरीक्षित)" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 14 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "पांच" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 14 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2-क) के परन्तुक में अंक "65" के स्थान पर अंक "70" प्रतिस्थापित किया जाए.

द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) में संशोधन.

6. द्वितीय अनुसूची के "भाग-दो (पुनरीक्षित)" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए.

भाग-दो (पुनरीक्षित)
[धारा 4 (सत्रह) देखिए]

स. क्र. (1)	विश्वविद्यालय का नाम (2)	मुख्यालय (3)	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (4)
1.	बस्तर विश्वविद्यालय	जगदलपुर	कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.
2.	सरगुजा विश्वविद्यालय	अम्बिकापुर	सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.

रायपुर, दिनांक 11 जून 2010

क्र. 5891/132/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2010)

CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette

2. In sub-clause (a) of Clause (xvii) of Section 4 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act) for the word and figure "Part-I" the words and figure "Part-I (Revised)" shall be substituted. **Amendment of Section 4.**

3. In the second proviso of sub-section (1) of Section 13 of the Principal Act, for the word and figure "Part-II" the words and figure "Part-II (Revised)" shall be substituted. **Amendment of Section 13.**

4. In sub-section (2) of Section 14 of the Principal Act, for the word "four" the word "five" shall be substituted. **Amendment of Section 14.**

5. In proviso of sub-section (2-a) of Section 14 of the Principal Act, for the figure "65" the figure "70" shall be substituted. **Amendment of Section 14.**

6. For "Part-II (Revised)" of the Second Schedule, the following shall be substituted. **Amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule.**

PART-II (Revised)
[See Section 4 (xvii)]

S. No. (1)	Name of University (2)	Headquarter (3)	Territorial Jurisdiction (4)
1.	Bastar Vishwavidyalaya	Jagdalpur	Areas comprised within the limits of the revenue Districts of Kanker, Bastar, Dantewada, Narayanpur and Bijapur.
2.	Sarguja Vishwavidyalaya	Ambikapur	Areas comprised within the limits of the revenue Districts of Sarguja, Jashpur, Korea, Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa and Raigarh.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.